

तारीख  
हुक्म

भा.एन / 16/4/24

16/4/24

16/4/24

वकील अपीलान्त उपर अपीलान्त के एक  
 डा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि  
 दस्तावेज अपीलान्त न्यायालय हाजिर में सबन  
 से गलत प्रस्तुत हो गये हैं जबकि अपीलान्त  
 न्यायालय अतिरिक्त संग्रहीत न्यायिक प्रोसेस  
 के पक्ष प्रस्तुत होनी चाहिए थी। अतः  
 दस्तावेज अपीलान्त के न्यायालय संग्रहीत न्यायिक  
 प्रोसेस में प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जायें एवं  
 दस्तावेज भी वापस किये जाने का निवेदन  
 किया।

दोनों पक्षों के अंतर्गत किया एवं  
 सबन अपीलान्त पर मनन किया। दस्तावेज  
 अपीलान्त न्यायालय अधिनियम के तहत की है,  
 जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय  
 हाजिर के पास नहीं है अतः अपीलान्त इसी  
 स्थान पर अपीलान्त के संबंधित न्यायालय  
 में प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जाते हैं। अपीलान्त  
 मीटिंग की प्रारंभिक एवं संलग्न प्रमाणित दस्तावेज  
 अपीलान्त के लौटाये जायें। मूल अपीलान्त फिलाल  
 शुभार की जाकर अन्तर से काम की जायें,  
 बाद जायें। सविनय शक्र है।

(मुनिदेवय्य  
 RAS)